न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 45/2020(जी.सी.एम.एस. 2020/00129)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मोहन लाल पुत्र लेखराज जाति अरोडा निवासी चक 9 एफ ए माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. मदनलाल पुत्र लेखराज जाति अरोडा निवासी चक 9 एफ माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. सरोज देवी पत्नी मुरारीलाल पुत्री लेखराज एंव साहब देवी जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 9 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. सोमा देवी पत्नी छगन लाल पुत्री लेखराज एंव साहब देवी जाति अरोडा निवासी 65 एल ब्लॉक श्रीगंगानगर। 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 10.08.2020

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2
3.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

--निर्णय-- **दिनांकः 18.09.2023**

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 9 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 75/77 के मुरब्बा नम्बर 16 की 2.656 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की माता साहब देवी पत्नी लेखराज के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की माता साहब देवी की स्वअर्जित भूमि है तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी एक स्त्री को किसी भी तरीके से प्राप्त सम्पति उसकी स्वअर्जित सम्पति मानी जाती है तथा साहब देवी को उक्त सम्पति को हर प्रकार से उपयोग, उपभोग, स्थानान्तरण, वसीयत आदि करने के तमाम अधिकार प्राप्त थे। प्रार्थीगण की माता साहब देवी ने उक्त आराजी चक 9 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 16 के 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि की पंजीकृत वसीयत अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा, पूर्ण सहमति एंव पूर्ण होशो हवास तथा स्वस्थचित से दिनांक 23.12.1987 को श्री मिलखराज अरायजनवीस श्रीकरणपुर से लिखवाकर तथा रूबरू गवाहान जोगेन्द्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह एंव रमेश कुमार पुत्र बालकिशन के समक्ष उपंजीयक कार्यालय श्रीकरणपुर से पंजीकृत करवाई थी। उक्त वसीयत में साहब देवी ने यह दर्ज किया है कि मेरी दो लडकिया है जिनकी शादी हो गई है तथा उन्हें शादी में काफी कुछ दे दिया है और मेरे दोनों लडके मेरे पास रहते है और मेरी सेवा करते है। इसलिए उसके द्वारा उक्त वसीयत की जा रही है। उक्त भूमि पर पूर्व में प्रार्थीगण की माता साहब देवी का कब्जा लगातार, शांतिपूर्वक, बेरोकटोक चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण की माता साहब देवी का दिनांक 16.06.2020 को देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थीगण की माता के देहान्त के बाद तथाकथित वसीयत अनुसार प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर कब्जा लगातार, शांतिपूर्वक, बेरोकटोक चला आ रहा है तथा उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण उक्त आराजी के मालिक एंव काबिज हो चुके है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण के अलावा शेष अप्रार्थीगण का कोइ हक व हिस्सा नहीं है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई है तथा वह प्रार्थीगण को धमकी दे रही है कि वे शीघ्र ही विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाकर उक्त भूमि को आगे खूर्द बुर्द कर देगी तथा वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं होने देगी। यही वाद कारण है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

कर अर्ज है कि ताफैसला वाद अप्राथी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध व प्रार्थीगण के हक में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की माता के नाम दर्ज चक 9 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 75/77 के मुरब्बा नम्बर 16 की 2.656 हैक्टेयर भूमि का विरासतन इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने, वसीयत करने, रहन, बैय करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्राथीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्राथी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह खीची व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। अप्राथी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने माता के साथ बदसलूकी की गई तो परेशान होकर साहिब देवी मुझ अप्राथी के पास आकर आबाद हो गई तथा अप्राथी द्वारा हर प्रकार से अपनी माता की सेवा चाकरी, दवा आदि की गई। अप्राथी की अत्यधिक सेवा से प्रसन्न होकर होशो, हवास, स्वतंत्र इच्छा एंव विवके से साक्षीगण रोहित छाबडा तथा मदनलाल गुप्चर की एक साथ मौजूदगी में मुझ अप्रार्थी के पक्ष में लिखवा कर इसे नोटेरी से प्रमाणित करवाई। इसकी समस्त जानकारी उन्होनें प्रार्थीगण तथा समस्त नजदीकी सम्बन्धियों को भी दी। तत्पश्चात साहिब देवी के देहान्त हो जाने पर मुझ अप्रार्थी द्वारा विधि अनुसार साहिब देवी की वसीयत दिनांक 11.06.2020 के आधार पर भूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के समक्ष दिनांक 03.07.2020 को आवेदन पत्र मय वसीयत प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा विधि विहित प्रक्रिया अपनाकर, वसीयत की पर्याप्त जांच कर, वसीयती गवाहन के बयानत लेखबद्ध कर इस वसीयत को सही पाकर दिनांक 06.08.2020 को साहिब देवी की वसीयत के अनुसार उनके नाम की भूमि का नामान्तरण मुझ अप्रार्थी के नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया। इन सब तथ्यों की जानकारी प्रार्थीगण को बखूबी थी। इसलिए उनके द्वारा जानबूझकर मिथ्या कथनों पर यह वाद पेश किया गया है एंव मिथ्या कथनों पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, न्यायालय को गुमराह कर स्थगन प्राप्त कर लिया गया है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र भारी हर्जाना सहित खारिज किये जाने योग्य है।

3- हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

(A)प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1, 2 की माता साहिब देवी पत्नी लेखराज के द्वारा चक 9 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 16 की 2.656 हैक्टेयर भूमि की पंजीकृत वसीयत दिनांक 23.12.1987 को प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित की है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजी का विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाकर, खूर्द बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कथन किये गये कि सही तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी माता के साथ बदसलूकी की गई तो परेशान होकर साहिब देवी मुझ अप्रार्थी के पास आकर आबाद हो गई तथा अप्रार्थी द्वारा हर प्रकार से अपनी माता की सेवा चाकरी, दवा आदि की गई। अप्रार्थी की अत्यधिक सेवा से प्रसन्न होकर साहिब देवी ने पूर्ण होशो, हवास, स्वतंत्र इच्छा एंव विवके से नोटेरी प्रमाणित वसीयत दिनांक 11.06.2020

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित करवा दी। साहिब देवी के देहान्त हो जाने पर मुझ अप्रार्थी द्वारा विधि अनुसार साहिब देवी की वसीयत दिनांक 11.06.2020 के आधार पर भूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के समक्ष दिनांक 03.07.2020 को आवेदन पत्र मय वसीयत प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा विधि विहित प्रक्रिया अपनाकर, वसीयत की पर्याप्त जांच कर, वसीयती गवाहन के बयानत लेखबद्ध कर इस वसीयत को सही पाकर दिनांक 06.08.2020 को साहिब देवी की वसीयत के अनुसार उनके नाम की भूमि का नामान्तरण मुझ अप्रार्थी के नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया। इन सब तथ्यों की जानकारी प्रार्थीगण को बखूबी थी। इसलिए मिथ्या कथनों पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, न्यायालय को गुमराह कर स्थगन प्राप्त कर लिया गया है। इसलिए उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र भारी हर्जाना सहित खारिज किये जाने योग्य है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा साहिब देवी के द्वारा सोमा देवी के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 11.06.2020 पर विधि अनुसार सुनवाई कर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम वसीयत इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया है। अतः प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

(B)सुविधा का संतुलन:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीगण/वादीगण को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला को सिद्व करने में असफल रहे है। वादग्रस्त आराजी के संबध में तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के द्वारा वसीयत पर सुनवाई कर अप्रार्थी सोमा देवी को खातेदार घोषित किया है। लिहाजा प्रार्थीगण सुविधा के संतुलन को अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया असफल रहे है।

(C)अपूरणीय क्षति:- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। चूकिं वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 सोमा देवी वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित हो चुकी है। इसलिए प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना कारित नहीं होता है। अतः अपूरणीय क्षति के बिन्दू को भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है।

4- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्राथीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

5- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/ खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{सुगोष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुगोष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर